न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 105 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. पीराराम पुत्र बुधाराम 2. समु पत्नी पन्नाराम 3. गोरखाराम पुत्र पन्नाराम उम्र16 4. मादाराम पुत्र पन्नाराम उम्र 17 वर्ष (अपीलकर्ता संख्या 03 व 04 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता समु पत्नी पन्नाराम) जातियान देवासी, निवासी जास्ती तहसील कल्याणपुर जिला बाड़मेर 5. बाबुराम पुत्र सुराराम 6. मालाराम पुत्र सुराराम 7. लेहरोदेवी पत्नी धीराराम 8. हीराराम पुत्र गोकलाराम 9. तेजाराम पुत्र गोकलाराम 10. जोधाराम पुत्र गोकलाराम जातियान देवासी निवासीयान आलों की ढाणी कोरना, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर	1. रूपाराम पुत्र इन्दाराम 2. चौथाराम पुत्र इन्दाराम 3. भींयाराम पुत्र मगाराम 4. घमण्डाराम पुत्र मगाराम 5. कानाराम पुत्र लालुराम जातियान जाट निवासीयान जास्ती, तहसील कल्याणपुर जिला बाड़मेर 6. कमलादेवी पत्नी भूराराम उम्र 36 जाति जाट निवासी बाड़ियों की ढाणी कोरना, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 7. सुराराम पुत्र मूलाराम 8. भंवराराम पुत्र सुरताराम 9. दीपाराम पुत्र सुरताराम 10. भाखरराम पुत्र सुरताराम 11. भोमाराम पुत्र सुरताराम 12. बाबुदेवी पत्नी गोरखाराम 13. सजनादेवी पत्नी गोकलाराम 14. भगवानराम पुत्र गोकलाराम 15. रमेश पुत्र गोकलाराम 16. नरेश पुत्र गोकलाराम जातियान देवासी निवासीयान जास्ती तहसील कल्याणपुर जिला बाड़मेर 17. भींयाराम पुत्र बुधाराम 18. दौलाराम पुत्र पन्नाराम 19. हनुमानराम पुत्र पन्नाराम जातियान देवासी निवासीयान जास्ती तहसील कल्याणपुर जिला बाड़मेर 20. सुखराम पुत्र सुराराम 21. ओमाराम पुत्र धीराराम 22. करनाराम पुत्र धीराराम जातियान देवासी निवासीयान आलों की ढाणी कोरना, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 23. श्रीमान तहसीलदार कल्याणपुर जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व आवेदन संख्या 265/2021 बअनवान रूपाराम वगै. बनाम पीराराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 27.04.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री सुनिल के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री छैलसिंह राठौड़ रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 16 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—21.09.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 03 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक आवेदन इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 506/144 रकबा 03.07 बीघा, खसरा संख्या 337/144 रकबा 03.07 बीघा, खसरा संख्या 124 रकबा 104 बीघा, खसरा संख्या 125 रकबा 0.02 बीघा व प्रार्थी संख्या 03 से 06 के खसरा संख्या 496/419, 501/419, 498/306 में से समर्पित भूमि खसरा संख्या 495/419 रकबा 0.03 बीघा, बीघा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 467/336, विप्रार्थी संख्या 17 के नाम दर्ज है तथा विप्रार्थी संख्या 01 से 16 के खसरा की खातेदारी खसरा संख्या 335/143 रकबा 17.08 बीघा में से रास्ता राजस्व गांव जास्ती पटवार हल्का गंगावास, भू अभिलेख क्षेत्र मण्डली तहसील कल्याणपुर जिला बाड़मेर में से संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट'अ' में बरंग लाल से मार्क ए से बी रास्ता कृषि प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु विप्रार्थीगण संख्या 01 से 16 की खातेदारी खसरा संख्या 335/143 में से रास्ता के उपयोग हेतु इरादे से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु एवं ए से सी प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 508/144 रकबा 0.03 बीघा व खसरा संख्या 337/144 0.03 बीघा में से रास्ता के उपयोग हेतु स्वीकृति प्रार्थीगण की होने से रास्ता दिलावे व मार्क सी से डी विप्रार्थी संख्या 17 श्रीमान तहसीलदार के नाम समर्पित भूमि खसरा संख्या 495/419 व 497/336 समर्पित सरकारी भूमि किस्म बारानी दोयम में किस्म रास्ता परिवर्तित कर रास्ता दिलाने के लिए प्रार्थना—पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये विना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। खसरा नम्बर 335/143 रकबा 17.06 बीघा भूमि में कुल 16 खातेदार है एवं इस भूमि में पहले से ही 01 ट्रांसफार्मर व आठ बिजली के खम्भे लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हर बार अपीलकर्तागण की भूमि में से ही जनहित में भूमि काश्त से अनपयोगी करने से अपीलकर्तागण के साथ भारी अन्याय हो रहा है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में प्रार्थीगण/उतरदाता संख्या 01 से 16 को गैर मुमकिन दुरी का रास्ता उपलब्ध करवाया जाना न्यायोचित रहता है एवं इस हेतु आलोच्य आदेश को अपास्त कर खसरा नम्बर 145 के खातेदारान को पक्षकार बनाते हुए नजदीकतम दूरी का रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड करना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पारित किया उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से तैयार की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 से 16 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

फर्द को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया उक्त मौका फर्द को तैयार करते वक्त अपीलांटगण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंटस/प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने के लिए निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाता अवलोकन किये बिना जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 265/2021 बअनवान रूपाराम वगै. बनाम पीराराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 27.04.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 29.11.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 21.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर